मु0न0 : 03/03
उनवान : नोबल्स एकेडमी सिंह बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03/03	01.04.2025	08.04.2025

उनवान

01. मधु बाला शर्मा पत्नि हरी चरन शर्मा जर्ये महासचिव नोबल्स एकडेमी जयपुर राजस्थान

..................................प्रार्थीया

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर .... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बावत।

निर्णय

प्रार्थीया मधु बाला शर्मा पत्नि हरी चरन शर्मा जर्ये महासचिव नोबल्स एकडेमी जयपुर राजस्थान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निम्न खसरा संख्याओ में त्रुटि पायी गयी है कृप्या निम्नानुसार संशोधन करवाने की कृपा करे।

खसरा न0	वर्तमान में त्रुटि पूर्ण दर्ज रिकार्ड	सही रिकार्ड जो संशोधन कर दर्ज किया जाना है।	साक्ष्य दस्तावेज प्रष्ठ सं0
585/200	क्षेत्रफल – 0.0100 हे0. नगरपालिका रामगढ अलवर हिस्सा पूर्ण नगरपालिका	क्षेत्रफल – 0.5000 हे0 नोबल्स ऐकेडमी 41, शिवम नगर रामनगरिया रोड जगतपुरा जयपुर भूमि किस्म संस्थान (शिक्षण) हिस्सा पूर्ण निजी	1 –50

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

[illegible]

[illegible]	क्षेत्रफल [illegible] है० [illegible] संस्थान [illegible] ऐकेडमी हिस्सा पूर्ण निजी	क्षेत्रफल [illegible] है० [illegible] [illegible] [illegible] हिस्सा पूर्ण नगरपालिका।	[illegible]
[illegible]	क्षेत्रफल 0.4800 है० नोबल्स ऐकेडमी जरिये महासचिव मधुबाला शर्मा पत्नि हरीचरण शर्मा निवासी जयपुर हिस्सा पूर्ण	क्षेत्रफल 0.4800 है० नोबल्स ऐकेडमी जयपुर हिस्सा पूर्ण निजी	[illegible]–76
[illegible]	क्षेत्रफल 0.2400 है० नोबल्स ऐकेडमी जयपुर जरिये सचिव श्रीमति मधुबाला पत्नि हरिचरण हिस्सा 1313/2400 वा० पेश निजी	क्षेत्रफल – 0.2400 है० नोबल्स ऐकेडमी 41 शिवम नगर रामनगरिया रोड जगतपुरा जयपुर हिस्सा 1313/2400 वा पेश निजी	77–78
477/289	क्षेत्रफल – 0.2400 है० नोबल्स ऐकेडमी जये महासचिव श्रीमति मधुबाला शर्मा पत्नि श्री हरी चरन शर्मा निवासी 115 शिवम नगर रामनगरिया रोड जगतपुरा जयपुर हिस्सा पूर्ण निजी	क्षेत्रफल – 0.2400 है० नोबल्स ऐकेडमी 41 शिवम नगर रामनगरिया रोड जगतपुरा जयपुर हिस्सा पूर्ण निजी	79–81

उपरोक्त प्रकरण में त्रुटियों सुधारीकरण हेतु संस्था द्वारा सारणी अनुसार दिए गए प्रष्टो क्रमांक मे साक्ष्य प्रस्तुत किये जा रहे है कृप्या साक्ष्यों के अव्लोकनोपरांत उपरोक्त सारणी अनुसार रिकॉर्ड को अपतन (Update) करवाने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय मे प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि मुताबिक रिकार्ड आराजी खसरा नं0 587/200 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम गोहा शिक्षण संस्थान

नोबल एकेडमी हि0 पूर्ण निजी किस्म गै0मु0 स्कूल दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 585/200 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 रास्ता नगर पालिका रामगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त सम्वत् 2058 में कायम खसरा नं0 200 जिसका संपरिवर्तन होने के खसरा नं0 587/200 व 585/200 नये नम्बर कायम हुए है। जो मुताबिक नक्शा लट्ठा में भी सही अंकित हुऐ है। वर्ष 2018 में सैग्रीगेशन के दौरान कैडस्टल गैप बनने पर नक्शे में खसरा नम्बर 585/200 के स्थान पर 587/200 व 587/200 के स्थान पर 585/200 अंकित हो गया है। अतः श्रीमान निवेदन है कि राजस्थान सरकार राजस्व मण्डल

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

[illegible]

राजस्थान अजमेर पंत्राक राम/DILRMP/प–126/2021/3686 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार सैग्रीगेशन के दौरान नक्शे में दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत किये जाने प्रावधान किया गया है। श्रीमान नक्शे में मुताबिक नक्शा बन्दोबस्त सम्वत 2058 के अनुसार मुताबिक रिकार्ड पटवारी व भू०अ०नि० को दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आराजी खसरा नं0 587/200 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम गोहा शिक्षण संस्थान ओवर एकेडमी हि0 पूर्ण निजी किस्म गै0मु0 स्कूल दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 585/200 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 रास्ता नगर पालिका रामगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त सम्वत 2058 में कायम खसरा नं0 200 जिसका संपरिवर्तन होने के खसरा नं0 587/200 व 585/200 नये नम्बर कायम हुए है। जो मुताबिक नक्शा लट्ठा में भी सही अंकित हुऐ है। वर्ष 2018 में सैग्रीगेशन के दौरान कैडस्ट्रल मैप बनने पर नक्शे में खसरा नम्बर 585/200 के स्थान पर 587/200 व 587/200 के स्थान पर 585/200 अंकित हो गया है। अतः श्रीमान निवेदन है कि राजस्थान सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर पंत्राक राम/DILRMP/प–126/2021/3686 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार सैग्रीगेशन के दौरान नक्शे में दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत किये जाने प्रावधान किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजनेर पंत्राक राम/DILRMP/प–126/2021/3686 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार सैग्रीगेशन के दौरान नक्शे में दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत आराजी खसरा नम्बर 585/200 व 587/200 की नक्शे सम्बन्धित दुरस्ती की जावे। उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ